



सत्यमेव जयते

MUJEEB KADRI  
STAMP VENDOR  
LICENCE NUMBER-46  
Stamping ACC ID-UP14122404  
Collectorate Compound, Jnnao

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

₹100

e-Stamp

Certificate No.	: IN-UP12615114428413U
Certificate Issued Date	: 08-Jun-2022 05:32 PM
Account Reference	: NEWIMPACC (SV)/ up14122404/ UNNAO/ UP-UNA
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUP1412240416850018230463U
Purchased by	: ALOK SHARMA SON OF LATE R S SHARMA
Description of Document	: Article 5 Agreement or Memorandum of an agreement
Property Description	: AGREEMENT
Consideration Price (Rs.)	:
First Party	: JAGDISH SONKAR SON OF DAYA RAM SONKAR
Second Party	: ALOK SHARMA SON OF LATE R S SHARMA
Stamp Duty Paid By	: ALOK SHARMA SON OF LATE R S SHARMA
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 100 (One Hundred only)

सत्यमेव जयते



Please write or type below this line

IN-UP12615114428413U



Statutory Alert:

- 1 The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.sholestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
- 2 The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.

**\*\*श्री गणेशाय नमः\*\***

**ई स्टाम्प न०- IN-UP12615114428413U**

1-प्रस्तुत करने का दिनांक : 30-06-2022

2-निष्पादन तिथि : 30-06-2022

3-लेखपत्र का प्रकार : विक्रय अनुबन्धपत्र

4-प्रतिफल : 1,20,00,000/- रुपया

5- अग्रिम धनराशि: 05,00,000/- रुपया

6-विक्रेती का नाम व पता : श्री जगदीश सोनकर वयस्क पुत्र स्व० दयाराम सोनकर  
निवासी मकान न०- 283जौनपुर शाहगँज रोड, कुतूपुर चौराहा, पोस्ट-सदर,  
धनूपुर, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-222001  
पैन- BANPS7998M, फोन न०- 8595889125, आधार न०-xxxxxxxx0238  
**प्रथम पक्ष** (जिसका अर्थ है कि इनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व  
स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे)

7- क्रेतागण का नाम व पता : 1- श्री आलोक शर्मा पुत्र स्व० राधेश्याम शर्मा  
निवासी मकान न०-11/359, विकास नगर,  
शहर तहसील व जिला-लखनऊ  
पैन- AYNPS2984A, फोन न०- 9648677814, आधार न०- xxxxxxxx9534  
2- श्रीमती मनीषा शर्मा पत्नी श्री आलोक शर्मा  
निवासी मकान न०-11/359, विकास नगर,  
शहर तहसील व जिला-लखनऊ  
पैन-DERPS0200A, फोन न०- 8887984539, आधार न०-xxxxxxxx9116  
**द्वितीय पक्ष** (जिसका अर्थ है कि इनके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि व  
स्थानापन्न आदि सम्मिलित होंगे)


8- अनुबन्धशुदा सम्पत्ति का विवरण  
आवासीय (फ्रीहोल्ड प्लॉट) संख्या 11/09, सेक्टर-11,  
वृन्दावन कालोनी योजना-1, लखनऊ  
जिसकी चतुर्दिक सीमाये निम्न है-  
पूरब- प्लॉट संख्या 11/18  
पश्चिम- 09 मी० रोड  
उत्तर- प्लॉट संख्या 11/08  
दक्षिण- प्लॉट संख्या 11/10


9- भूमि का प्रकार- आवासीय (फ्रीहोल्ड प्लॉट)

10-सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 300 वर्गमीटर

11-सड़क की स्थिति- सेगमेन्ट रोड पर स्थित नहीं







12- अन्य विवरण- कार्नर नही, 09 मी० रोड पर स्थित

13- सहकारी आवासीय समिति से सम्बन्धित- नही

14- विदित हो कि प्रथम पक्ष फ्रीहोल्ड प्लाट सँ०- 11/09, सेक्टर-11, वृन्दावन कालोनी योजना-1, लखनऊ, कुल क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर के एकल स्वामी, दाखिल व काबिज है।

15- विदित हो कि प्रथम पक्ष ने उक्त फ्रीहोल्ड प्लाट जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांकित 25.09.2008 बही सँ० — जिल्द 9423 पृष्ठ 131/158 नँ० 10793 कार्यालय उपनिबन्धक प्रथम, लखनऊ, प्रथम स्वामी आवास एवं विकास परिषद लखनऊ से क्रय किया है।

16- उक्त फ्रीहोल्ड प्लाट प्रथम पक्ष के पूर्ण स्वामित्व, कब्जे व अधिकार मे है, जो कि आज दिन तक हर प्रकार के विक्रय, दान, बन्धक, जमानत आदि से बरी व पाक साफ है, और न ही कोई विवाद किसी न्यायालय मे या किसी सरकारी या गैरसरकारी विभाग मे विचाराधीन है। प्रथम पक्ष के अलावा अन्य कोई व्यक्ति सहीम, शरीक, हकदार व हिस्सेदार नही है। आज तक प्रथम पक्ष को उक्त प्लाट को स्थानान्तरित करने से कभी भी किसी न्यायालय द्वारा रोका या मना नही किया गया है। तथा कभी भी कोई समस्या सेल्स — टैक्स, इनकम टैक्स या बैंक लोन की नही रही है। प्रथम पक्ष को उक्त प्लाट को विक्रय, दान, बन्धक आदि — करने का पूर्ण अधिकार है।

17- प्रथम पक्ष इसी फ्रीहोल्ड प्लाट सँ०- 11/09, सेक्टर-11, वृन्दावन कालोनी योजना-1, लखनऊ, कुल क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर को बकीमत मु०-1,20,00,000/- रुपया (एक करोड बीस लाख) मे द्वितीय पक्ष — को अपने आवश्यक कार्यों की पूर्ति हेतु विक्रय करना चाहता है। द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तावित यह विक्रयमूल्य — बाजारी मूल्य के अनुरूप होने के कारण प्रथम पक्ष को भी स्वीकार है। चुकि विक्रयपत्र निष्पादित होने के लिये द्वितीय पक्ष को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से अनुमति की आवश्यकता है। अतः हम उभय पक्ष — निम्न शर्तों के पाबन्द होते है:-

1- यह कि कुल विक्रय मूल्य मु०-1,20,00,000/- रुपया (एक करोड बीस लाख) मे से मु०-05,00,000/- रुपया (पाँच लाख) बतौर अग्रिम प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से जरिये चेक न०0410828 प्राप्त कर लिया है, शेष 1,15,00,000/- रुपया (एक करोड पंद्रह लाख ) प्रथम पक्ष को — द्वितीय पक्ष से बवक्त तकमील बैनामा प्राप्त होगा।

2- यह कि कुल खर्चा बैनामा, स्टाम्प व फीस द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जायेगा।


3- यह कि विक्रयपत्र निष्पादित करने की समयसीमा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से द्वितीय — पक्ष को नियमानुसार क्रय किये जाने की अनुमति मिलने अथवा आज की तिथि से छः माह की अवधि तक जब भी प्रथम पक्ष को सूचना देकर शेष विक्रय धन का भुगतान कर करा सकेगा।


4- यह कि आज से प्रथम पक्ष अन्य किसी के पक्ष मे उपरोक्त सम्पत्ति का विक्रय अनुबन्ध, विक्रयपत्र — या अन्य कोई दस्तावेज अन्य किसी के पक्ष मे निष्पादित नही करेगा, यदि करता है तो वह अमान्य — निष्प्रभावी होगा।

5- यह कि अनुबन्धशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को रिक्त अवस्था मे बवक्त विक्रय अनुबन्ध पत्र प्रदान किया जा रहा है।

6- यह कि तय समयसीमा मे द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को शेष विक्रयधन अदा किये जाने पर प्रथम पक्ष विक्रयपत्र निष्पादित किये जाने मे कोई हिलाहवाली नही करेगा।







7- यह कि बैनामा के समय विक्रयशुदा सम्पत्ति के सभी मूल कागजात प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष को \_\_\_\_\_ प्रदान करेगा।

8- यह कि यदि विक्रेता के किसी स्वामित्व के दोष के कारण द्वितीय पक्ष को कोई नुकसान उठाना \_\_\_\_\_ पड़े तो द्वितीय पक्ष/ क्रेतागण को यह अधिकार होगा कि वे समस्त बयाना धनराशि मय हर्जा खर्चा \_\_\_\_\_ व ब्याज के विक्रेता की अन्य चल अचल सम्पत्ति से जरिये न्यायालय वसूल लेगा, जिसमे विक्रेता अथवा उसके उत्तराधिकारियों को कोई एतराज नहीं होगा।

09- यह कि आज दिनांक 30-06-2022 को यह इकरारनामा समक्ष गवाहान तहरीर कर नोटरी कराया ताकि बवक्त काम आये।

नाम गवाहान-

1- श्री आनन्द कुमार वयस्क पुत्र स्व० कुवरपाल सिंह  
निवासी मकान नँ०-11-A/ 181 वृन्दावन कालोनी  
लखनऊ

\_\_\_\_\_

2- श्रीमती राजेश शर्मा वयस्क पत्नी स्व०डा० वी०डी० शर्मा  
निवासी मकान नँ०-131-B, इन्द्रापुरम कालोनी, शमशाबाद रोड  
तहसील सदर जिला- आगरा

राजेश शर्मा

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष/ विक्रेती

\_\_\_\_\_

(1-श्री जगदीश सोनकर वयस्क पुत्र श्री दायाराम सोनकर)  
शर्मा)

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष / क्रेतागण

\_\_\_\_\_

(1- श्री आलोक शर्मा पुत्र स्व० राधेश्याम

Manisha Sharma ...

(2- श्रीमती मनीषा शर्मा पत्नी श्री आलोक शर्मा)